(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

दिनाक: 22मार्च, 2018

2 6 MAR 2018

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): राजभाषा विभाग द्वारा दिये जा रहे राजभाषा पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

(क) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली शील्डों के लिए मंत्रालय/ विभाग/ उपक्रम/ बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ बैंक आदि के कार्मिकों की संख्या कम से कम 30 होने पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं 11034/48/2014 - रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 जो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना से संबन्धित है के

i. मद सं॰ 'क(4)' के अंतर्गत दिये जाने वाले 10 प्रोत्साहन पुरस्कार और मद सं॰ 'ख' के अंतर्गत दिये जाने वाला 1 प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2017 से समाप्त कर दिये गए हैं।

ii. मद सं॰ 'ख-(5) : प्रविष्टि भेजने की विधि' के अंतर्गत निम्न उप-मद सं (v) जोड़ दी गई है "सेवानिवृत्त कार्मिक अपनी पुस्तक, पीपीओ की कॉपी संलग्न कर, राजभाषा विभाग को सीधे भेज सकते हैं।"

iii. मद सं॰ 'क-(6)' और 'ख-(4)' जो सामान्य शर्तों के संदर्भ में है के अंतर्गत निम्न उप-मद सं (xi) जोड़ दी गई है "पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल ISBN वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।"

(ग) राजभाषा कीर्ति/ क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले को पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रशासक सचिवालय
ADMINISTRATOR'S SECRETARIAT
दमण एवं दीव, दमण/DAMAN & DIU, DAMAN.
FTS DIARY
Inward No. 1833 Dt. 04/04/18
Outward No. 1208756 Dt. 04/04/18

Dy. sec. (Agm) 1211037
dt. 9/4/18

वित्त विभाग/FINANCE DEPARTMENT
सचिवालय/SECRETARIAT, MOTI DAMAN
दमण एवं दीव/DAMAN & DIU
FTS DIARY LETTER
INWARD NO. 1833 Dt. 4/4/18
Dt. 05/04/18

(2)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों,राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग कृपया इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर अद्यतन करने का कष्ट करें।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(3

(To be Published in Gazette of India, Part I, Section I)

Government of India
Ministry of Home Affairs
(Department of Official Language)

Dated: 22 March, 2018

RESOLUTION

No. 11034/48/2014- O.L(Policy): The following modifications have been made in Rajbhasha Awards given by Department of Official Language from the year 2018-19:

(a) For consideration under Rajbhasha Kirti Puraskar, the number of Officials in Ministry/ Department/ PSU/ Autonomous Body/ Bank etc should be minimum 30.

(b) In Office Memorandum no. 11034/48/2014-O.L.(Policy) dated 25.03.2014 which is related to Rajbhasha Gaurav Puraskar :

i. The 10 Consolation Prizes awarded as per point 'A-(4)' and 1 Consolation Prize awarded as per point 'B' are to be discontinued from the year 2017.

ii. Sub-point (v) is to be read under point 'B-(5)' which is as follows "The retired officials can send their book directly to the Department of Official Language alongwith a copy of PPO."

iii. Sub-point (xi) is to be read under General Conditions mentioned under ponits 'A-(6)' & 'B-(4)' which is as follows "Under the award schemes, only books with ISBN number will be considered."

(c) Officials who score marks less than 60% will not be considered for the awards under Rajbhasha Kirti/ Regional Awards.

(Dr. Bipin Behari)
Joint Secretary to the Government of India

ORDER

It is ordered that copies of this resolution may be sent to all the state Governments, Union territory Administration all the Ministries/ Departments of Government of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this resolution may be published in gazette of India for public information.

(Dr. Bipin Behari)
Joint Secretary to the Government of India

To,

Manager
Government of India Press,
Faridabad (Haryana)

No. 11034/48/2014-O.L(Policy) New Delhi, Dated 22 March, 2018

Copy forwarded to :-

1. Director (Implementation/Technical), Department of Official Language, M.H.A, New Delhi for necessary action regarding introducing the scheme as per the amendment in the resolution.
2. Chief Secretary of all the State Governments and Administrations of Union Territories.
3. Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India.
4. President Secretariat, New Delhi
5. Prime Minister Office New Deli
6. Cabinet Secretariat, New Delhi
7. NitiAyog, New Delhi
8. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
9. Director, Accounts(Central Revenue) New Delhi.
10. LokSabha Secretariat, New Delhi.
11. RajyaSabha Secretariat, New Delhi.
12. Parliament library (15 Copies).
13. Director, Public relation (MHA), P.I.B., New Delhi, with request to issue a press note regarding the decision of the government.
14. All the Officers/Desks/Section of Department of Official Language.
15. Sr. P.P.S. to Secretary O.L.
16. Additional copies for Official Language (Policy)Desk.
17. Director, NIC, Department of Official Language, to upload on the website of Department of Official Language.

(Dr.BipinBehari)
Joint Secretary to the Government of India